



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

G20

संख्या:- 93 / 12-1 देहरादून: दिनांक 11 जुलाई, 2024
सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (के०),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25-सुभाश रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद-टिहरी गढ़वाल में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-605/2014 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड़ का डबल लेन में निर्माण कार्य हेतु 4.69 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (Online No.-FP/UK/ROAD/144340/2021)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, एकीकृत कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./06/39/2022/एफ.सी./207, दिनांक-14.05.2024.

महोदय,

विशयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 14.05.2024 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती के पत्रांक 97/12-1 दिनांक 08.07.2024 से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क० सं०	आपत्ति	निराकरण/प्रतिउत्तर
1	यह देखा गया है कि पहले से ही एक निर्मित सड़क है जो प्रस्तावित सड़क समरेखण के समानान्तर जा रही है। डी०एफ०ओ० महोदय से अनुरोध है कि वे इस दृष्टि से कार्यस्थल का दौरा करें और विस्तृत कार्यस्थल निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करें।	बिन्दु संख्या-01 के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भाग-01 के क०सं० 4.1 में त्रुटिवश पूर्वनिर्मित मोटर मार्ग के सामानान्तर प्रदर्शित होती हुई प्रस्तावित मोटर मार्ग संरेखण वाली क०एम०एल० त्रुटिवश ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड हो गयी थी, जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा वर्तमान में संशोधित कर दिया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्रांक सं०-08बी/यू०सी०पी०/06/39/2022/एफ०सी०/207 दिनांक 14.05.2024 से जारी निर्देशों के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग द्वारा उक्त मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 16.05.2024 को प्रस्तावक विभाग के साथ किया गया ,जिसकी प्रति संलग्न है। (संलग्नक-01)
2	चूँकि यह देखा गया है कि आसपास के क्षेत्र में एक मौजूदा एन०एच. है, इसलिये सड़क का विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करना आवश्यक है।	बिन्दु संख्या-02 के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-94 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 को आपस में जोड़ती है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-94 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 में यात्रा सीजन के दौरान ऋषिकेश, हरिद्वार में होने वाले ट्रैफिक/जाम को नियंत्रण/डायवर्ट किया जा सकता है तथा यात्रा सीजन को सुचारु रूप से संचालित करने में भी आसानी होगी। यदि किसी वाहन को जाजल से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-94 से होते हुये शिवपुरी तक जाना है तो उक्त परिस्थिति में वाहन को 42.00 कि०मी० राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-94 एवं 15.00 कि०मी० राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 पर दूरी तय करनी होगी। इस प्रकार कुल 57.00 कि०मी० की दूरी तय करनी पड़ेगी, जबकि इस मार्ग के निर्माण के उपरान्त कुल मात्र 23.00 कि०मी० दूरी तय करने के उपरान्त वाहन शिवपुरी में

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 तक पहुंचेगा। इस प्रकार वाहन को कुल 34.00 कि०मी० कम दूरी तय करनी होगी। पहाड़ी मार्ग की दृष्टि से 34.00 कि०मी० की दूरी एक अत्यधिक दूरी होती है, 34.00 कि०मी० की दूरी को तय करने में लगने वाले समय के साथ-साथ ईंधन एवं पर्यावरण की भी हानि होती है। 34.00 कि०मी० दूरी तय करने में व्यय होने वाले ईंधन का विवरण संलग्न (संलग्नक-02) कर प्रेषित है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि प्रस्तावित मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 से प्रारम्भ होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-94 को जोड़ता है किन्तु प्रस्तावित मार्ग के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-94 से हवाई दूरी लगभग 5.37 कि०मी० है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति करने का कष्ट करें।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या 93 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।



उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाईन न०-18008909715(टोल फ्री)
कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in

Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं०: ११ / 12-1 दिनांक 08 / 07 / 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद-टिहरी गढ़वाल में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-605/2014 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड़ का डबल लेन में निर्माण कार्य हेतु 4.69 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-2342/12-1, दिनांक 14.05.2024

महोदय,


उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्रांक-08बी/यू०सी०पी०/06/39/2022/एफ०सी०/207 दिनांक 14.05.2024 से इंगित कमियों का निराकरण कर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने पत्रांक-1208/6 एम०जी० दिनांक 06.07.2024 से बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी, जो निम्नलिखित है-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण/प्रतिउत्तर
1	यह देखा गया है कि पहले से ही एक निर्मित सड़क है जो प्रस्तावित सड़क समरेखण के समानान्तर जा रही है। डी०एफ०ओ० महोदय से अनुरोध है कि वे इस दृष्टि से कार्यस्थल का दौरा करें और विस्तृत कार्यस्थल निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करें।	बिन्दु संख्या-01 के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भाग-01 के क्र०सं० 4.1 में त्रुटिवश पूर्वनिर्मित मोटर मार्ग के सामानान्तर प्रदर्शित होती हुई प्रस्तावित मोटर मार्ग संरेखण वाली के०एम०एल० त्रुटिवश ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड हो गयी थी, जिससे प्रस्तावक विभाग द्वारा वर्तमान में संशोधित कर दिया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्रांक सं०-08बी/यू०सी०पी०/06/39/2022/एफ०सी०/207 दिनांक 14.05.2024 से जारी निर्देशों के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 16.05.2024 को प्रस्तावक विभाग के साथ किया गया, जिसकी प्रति संलग्न है। (संलग्नक-01)
2	चूंकि यह देखा गया है कि आसपास के क्षेत्र में एक मौजूदा एन०एच. है, इसलिये सड़क का विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करना आवश्यक है।	बिन्दु संख्या-02 के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -94 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 को आपस में जोड़ती है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-94 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 में यात्रा सीजन के दौरान ऋषिकेश, हरिद्वार में होने वाले ट्रैफिक/जाम को नियंत्रण/डायवर्ट किया जा सकता है तथा यात्रा सीजन को सुचारु रूप से संचालित करने में भी आसानी होगी। यदि किसी वाहन को जाजल से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-94 से होते हुये शिवपुरी तक जाना है तो उक्त परिस्थिति में वाहन को 42.00 कि०मी० राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-94 एवं 15.00 कि०मी० राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 पर दूरी तय करनी होगी। इस प्रकार कुल 57.00 कि०मी० की दूरी तय करनी पड़ेगी, जबकि इस मार्ग के निर्माण के उपरान्त

कुल मात्र 23.00 कि०मी० दूरी तय करने के उपरान्त वाहन शिवपुरी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 तक पहुंचेगा। इस प्रकार वाहन को कुल 34.00 कि०मी० कम दूरी तय करनी होगी। पहाड़ी मार्ग की दृष्टि से 34.00 कि०मी० की दूरी एक अत्यधिक दूरी होती है, 34.00 कि०मी० की दूरी को तय करने में लगने वाले समय के साथ-साथ ईंधन एवं पर्यावरण की भी हानि होती है। 34.00 कि०मी० दूरी तय करने में व्यय होने वाले ईंधन का विवरण संलग्न (संलग्नक-1) कर प्रेषित है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि प्रस्तावित मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 से प्रारम्भ होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-94 को जोड़ता है किन्तु प्रस्तावित मार्ग के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-94 से हवाई दूरी लगभग 5.37 कि०मी० है।

संलग्न :- यथोपरि।


भवदीय


प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:- 97 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दारानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

दिनांक— 16.05.2024 को जनपद टिहरी गढ़वाल में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या—305 / 2014 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण कार्य, प्रस्ताव के संरेखण के भ्रमण की निरीक्षण टिप्पणी:—

दिनांक 24.04.2024 को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में आहूत एफ0आर0सी0एम0 की बैठक में जारी निर्देशों के अनुपालनार्थ आज दिनांक 16.05.2024 को जनपद टिहरी गढ़वाल में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या—305 / 2014 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन मोटर मार्ग का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर के प्रतिनिधि के रूप में श्री साहब सिंह सैनी (सहायक अभियन्ता), वन विभाग के प्रतिनिधि के रूप में श्री जीवन एम0 दगड़े (प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग), श्री अनिल पैन्थूली (उप प्रभागीय वनाधिकारी देवप्रयाग), श्री विवेक जोशी (वन क्षेत्राधिकारी शिवपुरी राजि), एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया कि प्रस्तावित मोटर मार्ग की लम्बाई 7.25 किमी0 है, जिसमें आरक्षित वनभूमि नौडू क0सं0—01,02, तमियार क0सं0—10,11, 08, एवं अदवाणी क0सं0—03 में 4. 41 है0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु एवं गौरीगांव एवं हाडीसेरा में 0.28 है0 सिविल भूमि एवं नाप भूमि 0.385 है0 मक डम्पिंग हेतु प्रस्तावित की गयी है, जिसमें आरक्षित वनभूमि में कुल 929 वृक्ष एवं सिविल भूमि में 23 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित तथ्य संज्ञान में आये हैं—

1. शिवपुरी से धौड़ीयागला तक लम्बाई 10 किमी0 का निर्माण किया जा चुका है, जिस हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रकरण पर भारत सरकार के पत्रांक 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 54 / 2012 / एफ0सी0 / 569 दिनांक 26.06.2015 के द्वारा प्राप्त हुई है।
2. जाजल से लमियाली 3 किमी0 लम्बाई हेतु वनभूमि हस्तान्तरण, भारत सरकार के पत्रांक 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 186 / 2005 / एफ0सी0 / 2967 दिनांक 02.02.2006 के द्वारा लो0नि0वि0 के पक्ष में किया जा चुका है।
3. यह प्रस्ताव लम्बाई 7.25 किमी0 हेतु गठित किया गया है, जिससे पूर्व निर्मित जाजल की ओर से 5.75 किमी0 लम्बाई तथा जाजल से शिवपुरी की ओर 10 किमी0 लम्बाई आपस में जुड़ जायेंगी। इस मोटर मार्ग के निर्माण से शिवपुरी से जाजल अथवा जाजल से शिवपुरी आने वाले वाहनों को 57 किमी0 के स्थान पर मात्र 23 किमी0 की दूरी तय करनी होगी। इस प्रकार लम्बाई में कुल 34 किमी0 की कमी आयेगी। पर्वतीय भागों में 34 किमी0 लम्बाई एक लम्बी दूरी होती है, जिसमें लगभग 2 घन्टे आवागमन में व्यतीत हो जाता है। इस दूरी में कमी आने से प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगभग रू0 3618.78 लाख के ईंधन की बचत होगी। यदि इतने ईंधन का उपयोग न किया जाये तो पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सकता है।
4. क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय जनमानस के द्वारा विगत कई वर्षों से उक्त मार्ग निर्माण हेतु मांग की जाती रही है।
5. प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम पंचायत—हाडीसेरा, रौन्देली, मटियाला, शिवपुरी, पसर मय क्यार्क, ढाईगला के कुल 1080 क्षेत्रीय जनमानस का कम समय में आवागमन के साथ—साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास हो सकेगा।
6. वर्षाकाल में भू—स्खलन से मुख्य मार्ग बाधित होने की स्थिति में प्रश्नगत मोटर मार्ग को वैकल्पिक मार्ग के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा, जिससे Medical Emergency के दौरान समय पर मुख्य अस्पताल पहुंचने में आसानी होगी।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उक्त मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना जनहित एवं राष्ट्रहित के विकास हेतु आवश्यक है।



निरीक्षण के फोटोग्राफ

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती


E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in

Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं०: 3437/ 12-1

दिनांक 03/06/2024


प्रतिलिपि :- 1-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2-वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती को उक्त के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।
Ⓟ

संख्या:- 3437 /12-1

दिनांकित।

प्रतिलिपि :- 1-अधिसासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2- उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रयाग उप वन प्रभाग, मुनिकीरेती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3- वन क्षेत्राधिकारी, शिवपुरी राजि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।
Ⓟ



क 1208/G.M.1/b

दिनांक 06/07/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग,
मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल

विषय:- जनपद टिहरी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-605/2014 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण कार्य हेतु 4.69 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 2342/12-1 देहरादून, दिनांक 14.05.2024 एवं पत्रांक-23/12-1, दिनांक 03.07.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के अनुपालन में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चाही गयी आख्या/प्रतिउत्तर निम्नवत् है-

क्र0 सं0	बिन्दु	विभाग की आख्या/प्रतिउत्तर
1	यह देखा गया है कि पहले से ही एक निर्मित सड़क है जो प्रस्तावित सड़क समरेखण के समानान्तर जा रही है। डी0एफ0ओ0 महोदय से अनुरोध है कि वे इस दृष्टि से कार्यस्थल का दौरा करें और विस्तृत कार्यस्थल निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करें।	महोदय बिन्दु संख्या 1 के क्रम में अवगत कराना है कि इस खण्ड द्वारा के0एम्0एल्0 को बनाने में हुयी त्रुटि के कारण के0एम्0एल्0 पूर्व निर्मित मार्ग के समानान्तर प्रदर्शित हो रही थी। वर्तमान में पूर्व अप्लोटिक के0एम्0एल्0 में हुयी त्रुटि को ठीक कर पुनः संशोधित के0एम्0एल्0 परिदेश चार्ट पर ऑनलाईन प्रस्ताव के क्रमांक 4.1 पर अपलोड कर दिया गया है।
2	चूंकि यह देखा गया है कि आसपास के क्षेत्र में एक मौजूदा एन0एच0 है, इसलिये सड़क का विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करना आवश्यक है।	महोदय, बिन्दु संख्या 2 के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्तावित मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-94 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 को आपस में जोड़ने वाला न्यूनतम दूरी का मार्ग है। यदि किसी वाहन को जाजल से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-94 से होते हुये शिवपुरी तक जाना है तो उस परिस्थिति में वाहन को 42.00 कि0मी0 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-94 एवं 15.00 कि0मी0 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 पर दूरी तय करनी होगी। इस प्रकार कुल 57.00 कि0मी0 की दूरी तय करनी पड़ेगी जबकि इस मार्ग के निर्माण के उपरान्त कुल मात्र 23.00 कि0मी0 दूरी तय करने के उपरान्त वाहन शिवपुरी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 तक पहुंचेगा। इस प्रकार वाहन को कुल 34.00 कि0मी0 कम दूरी तय करनी होगी पहाड़ी मार्ग की दृष्टि से 34.00 कि0मी0 की दूरी एक अत्यधिक दूरी होती है, 34.00 कि0मी0 की दूरी को तय करने में लगने वाले समय के साथ-साथ ईंधन एवं पर्यावरण की भी हानि होती है। 34.00 कि0मी0 दूरी तय करने में व्यय होने वाले ईंधन का विवरण संलग्न (संलग्नक-1) कर प्रेषित है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि प्रस्तावित मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 से प्रारम्भ होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-94 को जोड़ता है किन्तु प्रस्तावित मार्ग के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-94 से हवाई दूरी लगभग 5.37 कि0मी0 है।

अतः आपसे अनुरोध है कि जनहित में मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर सहानभूति पूर्वक विचार करते हुये वन भूमि हस्तान्तरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

①:ml
6/7/24
श्री0 विजय कुमार मोघा
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

पत्रांक / तददिनांक

प्रतिलिपि-

1. सहायक अभियन्ता-प्रथम, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

Executive Engine
C.D. P.W.
Narendra nag

Assistant Engineer
C.D. P.W.D.
Narendra nagar

Asst Assistant Engineer
C.D. P.W.D.
Narendra nagar

क्र.सं.	मार्ग का नाम	घाटनों की गणना का स्थान	घाटनों की आवाजाही की दिशा	लम्बान (प्रतिदिन)	प्रतिघाटन होने वाली किलो मीटर	कुल किलो मीटर
1	देवप्रयाग-नरेन्द्रनगर मोटर मार्ग	मदकाली मोटर तिराहा	शिवापुरी से नरेन्द्रनगर की ओर आने वाले घाटन	2800.00	Rs. 312.80	875840.00
2	नरेन्द्रनगर-देवप्रयाग मोटर मार्ग	मदकाली मोटर तिराहा	नरेन्द्रनगर से शिवापुरी की ओर जाने वाले घाटन	2500.00	Rs. 312.80	782000.00
घाटन नाम यात्रा में का अनुमानित समय (04 माह) 122 दिन में होने वाली कुल किलो मीटर						
मार्ग निर्माण से प्रतिवर्ष होने वाली अनुमानित किलो मीटर						
361878320.00						
3618.78 Lakhs						

सामान्य परिस्थितियों में अनुमानित समय (08 माह) 243 दिन में होने वाली कुल किलो मीटर						
क्र.सं.	मार्ग का नाम	घाटनों की गणना का स्थान	घाटनों की आवाजाही की दिशा	लम्बान (प्रतिदिन)	प्रतिघाटन होने वाली किलो मीटर	कुल किलो मीटर
1	देवप्रयाग-नरेन्द्रनगर मोटर मार्ग	मदकाली मोटर तिराहा	शिवापुरी से नरेन्द्रनगर की ओर आने वाले घाटन	1500.00	Rs. 312.80	469200.00
2	नरेन्द्रनगर-देवप्रयाग मोटर मार्ग	मदकाली मोटर तिराहा	नरेन्द्रनगर से शिवापुरी की ओर जाने वाले घाटन	600.00	Rs. 312.80	187680.00
सामान्य परिस्थितियों में अनुमानित समय (08 माह) 243 दिन में होने वाली कुल किलो मीटर						
656880.00						
159621840.00						

शिवापुरी-जावल डबल लेन मोटर मार्ग निर्माण से होने वाले लाभ का अनुमान						
क्र.सं.	विवरण	प्रतिदिन	प्रतिघाटन	कुल प्रतिदिन	कुल प्रतिघाटन	कुल प्रतिवर्ष
1	मार्ग की चौड़ाई	34.00 KM				
2	घाटन की चौड़ाई	10.00 KM/Li				
3	घाटन की गहराई	3.40 Li				
4	घाटन की चौड़ाई	92.00 Per Li				
5	घाटन की चौड़ाई	Rs. 312.80				